

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक-

संख्या-1/श्रम वि०ई० 8-8009/2015 श्र०सं०...../ वित्त विभाग की संकल्प सं० 7566 दिनांक 14.7.10 के आलोक में श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी संवर्ग के निम्नांकित पदाधिकारियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त "रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2100" के प्रावधानों के तहत उनके नाम के सामने अंकित तिथि से पे-बैंड ₹15,600- 39,100/-, ग्रेड पे ₹7,600/-में द्वितीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र०	बीमा चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	द्वितीय वित्तीय उन्नयन की देय तिथि	अभ्युक्ति
1	डॉ० मणिपाल चौधरी	01.07.09	
2	डॉ० निर्मल कुमार तिवारी	01.01.09	

2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों का वेतन नियतिकरण रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के परिशिष्ट-1 के नियम 4 के अनुसार किया जाएगा ।
3. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त एम०ए०सी०पी० योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-


(देव नन्दन यादव)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/श्रम वि०ई० 8-8008/2006 श्र०सं० 276 / पटना, दिनांक-28.3.16

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/ महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सम्बन्धित कोषागार/निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना/उप निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना/क्षेत्रीय प्रशासकीय चिकित्सा पदाधिकारी, फुलवारीशरीफ, पटना एवं मुजफ्फरपुर/अधिसूचना में नामित सभी सम्बन्धित बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि वित्त विभाग की संकल्प सं० 7566 दिनांक 14.7.10 के अन्तर्गत निर्धारित सुसंगत प्रावधानों के अनुसार जाँच कर यथानुमान्य वेतनपूर्जा निर्गत करें ।

  
सरकार के अपर सचिव।  
28/3/16